प्रेस नोट दि0-14.07.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

ढाबे पर शराब के नशे में दबंगई कर फायरिंग करने वाले 02 अभियुक्त पिस्टल व कारतूस सहित गिरफ्तार – थाना लीलापुर पुलिस की तत्परता से बड़ी घटना टली

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्रवाई – ढाबे पर शराब के नशे में दबंगई व फायरिंग करने वाले 02 अभियुक्तों को मौके से पिस्टल व कारतूस सहित गिरफ्तार

लाइसेंसी शस्त्र से फायरिंग – शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रचलित

प्रतापगढ़।
दिनांक 13.07.2025 को वादी निवासी ग्राम अजगरा रानीगंज, थाना लीलापुर, जो अजगरा रानीगंज बाजार के निकट डी.के. ढाबा संचालित करता है, द्वारा थाना लीलापुर पर सूचना दी गई कि रात्रि में विनय शंकर तिवारी व धीरज तिवारी, निवासी ग्राम बासूपुर, शराब के नशे में ढाबे पर पहुंचे और शराब पीने लगे। मना करने पर दोनों अभियुक्तगण एक राय होकर गाली-गलौज व मारपीट करने लगे तथा ढाबे पर रखी कुर्सियाँ-मेजें तोड़ दीं।

विरोध करने पर विनय शंकर तिवारी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से वादी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, परंतु वादी के झुक जाने से गोली दीवार में जा लगी। इसके बाद अभियुक्तों ने होटल के बाहर कई राउंड फायरिंग कर भगदड़ व दहशत का माहौल उत्पन्न कर दिया। ढाबे पर मौजूद लोगों की तत्परता से दोनों अभियुक्तों को पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 166/25, धारा 109(1)/288/115(2)/352/351(3)/324(4)/3(5) BNS, 5/27 Arms Act व 7 CLA Act के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना लीलापुर प्रभारी श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 गिरीश धर दूबे मय टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए ढाबे पर मौजूद लोगों की तत्परता से अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को मौके से 01 अदद लाइसेंसी पिस्टल .45 बोर, 04 जिन्दा कारतूस .45 बोर तथा एक मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर सहित गिरफ्तार किया गया है । बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 MV Act के अंतर्गत सीज किया गया है।

अभियुक्तों द्वारा घटनास्थल पर अपने लाइसेंसी शस्त्र (.45 बोर पिस्टल) का दुरुपयोग कर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जो कि शस्त्र अधिनियम एवं शस्त्र लाइसेंस नियमावली के प्रतिकूल है। अभियुक्तों द्वारा लाइसेंसी शस्त्र के अनुचित प्रयोग एवं शांति व्यवस्था भंग करने हेतु शस्त्र का प्रयोग किए जाने के परिप्रेक्ष्य में, शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त विनय शंकर तिवारी उपरोक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मै अपने साथी धीरज तिवारी उपरोक्त के साथ धीरज तिवारी की मोटरसाईकिल बजाज डिस्कवर से प्रतापगढ से शराब के नशे डी.के. ढाबा आये थे। वहाँ पर ढाबे पर शराब पीने को लेकर ढाबे पर काम करने वाले लोगो से हमारा विवाद हो गया था। विवाद के दौरान हमारे पास लाइसेंसी पिस्टल थी। गुस्से में आकर मैने उनके ऊपर गोली चला दी थी। हमलोगो से गलती हो गयी मुझ माफ कर दीजिए भविष्य में दोबारा ऐसा नही होगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विनय शंकर तिवारी पुत्र हरिप्रसाद तिवारी निवासी बासूपुर थाना-लीलापुर, जनपद-प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष।
2. धीरज तिवारी पुत्र माता प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम बासूपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ ।

गिरफ्तारी टीम-

उ0नि0 गिरीश धर दूबे मय टीम थाना लीलापुर प्रतापगढ़।

पुलिस की आम जनता से अपील-

जनसामान्य को सूचित एवं सचेत किया जाता है कि लाइसेंसी शस्त्र केवल आत्मरक्षा हेतु प्रदान किया जाता है, उसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया जाना कानूनन दंडनीय अपराध है। सार्वजनिक स्थानों पर या व्यक्तिगत विवादों में लाइसेंसी शस्त्र का प्रयोग करना शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में आता है, जिससे लाइसेंस की तत्काल निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है।

पुलिस द्वारा अपील की जाती है कि शस्त्रधारी नागरिक संयमित व उत्तरदायी व्यवहार करें एवं किसी भी स्थिति में लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग न करें। ऐसा कृत्य न केवल स्वयं को कानूनी संकट में डालता है, बल्कि समाज में भय, अराजकता एवं अव्यवस्था उत्पन्न करता है। जिस पर पुलिस सख़्त वैधानिक कार्रवाई करेगी।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत पहाड़पुर गजेहड़ा मोड़, ग्राम पहाड़पुर गजेहड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेबाबू के नेतृत्व में उ0नि0 रामसमुझ मय मय हमराह का0 विनय पटेल द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 14.07.2025 को 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त सतीश मौर्या उर्फ राहुल मौर्या पुत्र पप्पू मौर्या उर्फ रामयश उम्र करीब 23 वर्ष नि0 ग्राम बुआपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत पहाड़पुर गजेहड़ा मोड़, ग्राम पहाड़पुर गजेहड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी के संबंध में थाना देल्हूपुर में मु0अ0स0- 74/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. सतीश मौर्या उर्फ राहुल मौर्या पुत्र पप्पू मौर्या उर्फ रामयश उम्र करीब 23 वर्ष नि0 ग्राम बुआपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-
01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रामसमुझ मय हस्बुल मय हमराह का0 विनय पटेल थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा घटना मे प्रयुक्त 01 अदद लाठी को किया गया बरामद

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत दिलीपपुर नहर रोड पर पुल के आगे भट्ठे के पास गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 08.07.2025 को आरोपीगणो द्वारा एक राय होकर लाठी-डण्डा लेकर वादी को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देना व मारना पीटना, जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 120 / 25 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3) / 109(1) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री शुत्रुघन वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 जगदीश कुमार द्वारा दिनांक 14.07.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 120/25 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/109 (1) BNS से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों, 01.सूरज गौतम पुत्र लालजी गौतम, 02.शनी गौतम पुत्र लालजी गौतम निवासीगण ग्राम छीटपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र के दिलीपपुर नहर रोड पर पुल के आगे भट्ठे के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी को दिलीपपुर नहर स्थित बंद भट्ठे पर सरपत के झुण्ड से बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ पर अभियुक्त सूरज गौतम उपरोक्त द्वारा बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर मैने व मेरे परिवार वालो ने मिल कर अपने ही गाँव के राजीव पाण्डेय को मारा पीटा था। मार पीट की घटना बाद आस पडोस के लोगो को आते देख मैने

घटना मे प्रयुक्त लाठी को दिलीपपुर नहर स्थित बंद भट्ठे पर सरपत के झुण्ड मे फेक दिया था। आप कहे तो चल के दिखा सकता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. सूरज गौतम पुत्र लालजी गौतम निवासी ग्राम छीटपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
2. शनी गौतम पुत्र लालजी गौतम निवासी ग्राम छीटपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी विवरण-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 जगदीश कुमार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।